37

न्यायालयः समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. निग/ /प्रथम/2016

निग-3276-I16

आर.के. दुबे तत्कालीन तहसीलदार गोहद

पुत्र श्री महावीद प्रसाद दुबे (वर्तमान डिप्टी कलेक्टर श्योपुर)

निवासी हाल. श्योपुर जिला–श्योपुर (म.प्र.)

.....आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

(1) म0प्र0 शासन द्वारा आयुक्त
चम्बल संभाग मुरैना

(2) अनुविभागीय अधिकारी गोहद
जिला भिण्ड (म.प्र.)

.....अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोहद के प्रकरण क्रमांक 53/2014–15/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 08/12/2015 से व्यथित होकर

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3276/एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
3-11-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गोहद के प्रकरण क्रमांक 53/2014–15/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 08.12.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक माह मार्च 2015 से तहसील गोहद, जिला भिण्ड में तहसीलदार के पद पर पदस्थ था अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में आवेदक द्वारा अपने न्यायालय के प्रकरण क्र. 46/2014–15/अ–6 में दिनांक 09.03.2015 पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण का आदेश पारित किया, जिसके पश्चात् आवेदक शासन की प्रक्रिया के तहत पदोन्नती पाकर श्योपुर जिले में पदस्थ हो गया। आवेदक के पारित आदेश के विरूद्ध व्यथित पक्षकार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गोहद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण क्रमांक 53/2014–15/अपील माल पर दर्ज कर आदेश दिनांक 08.12.2015 पारित किया गया, साथ ही आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी को लिखे जाने का आदेश पारित किया गया। आवेदक द्वारा उसके विरूद्ध की गयी कार्यवाही के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।	

3— निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का विधिवत अवलोकन किया गया।

4— आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी, गोहद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2015 में पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने को लिखा गया है जबकि उसके द्वारा पारित आदेश न्यायालीन आदेश है, जो न्यायाधीश की हैसियत से पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में उसे न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम के तहत सुरक्षा प्राप्त है। इसलिए उसके विरूद्ध आक्षेपित शब्द कि पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पृथक से सक्षम अधिकारी को लिखा जाये, निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5— अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6— उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का विधिवत अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान आदेश पारित किया था, उसमें उसे न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा दी गयी है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायालयीन आदेश है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, गोहद द्वारा आवेदक के विरूद्ध जो आदेश पारित किया है, वह अपने स्थान पर विधिवत एवं सही नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7— उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद, जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 53/2014—15/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 08.12.2015 के अंश कि "अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने को लिखा जाये" को समाप्त किया जाता है एवं इसी क्रम में आवेदक के विरूद्ध की जा रही समस्त कार्यवाही निरस्त की जाती है।

सदस्य